

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
प्रथम ई निविदा- वर्ष 2020

क्रमांक: 643/कार्यालय/2020

भोपाल, दिनांक: 2/7/2020

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ (टेक्नीकल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर/स्टेनो टायपिस्ट, भृत्य कम चौकीदार, माली, स्वीपर, गनमैन, सुरक्षा गार्ड आदि) की व्यवस्था के लिए खुली ई-निविदा वर्ष 2020" आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र, शर्तें, विस्तृत जानकारी तथा निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर विजिट करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 1,000=00 है, जिसे ऑन लाईन जमा किया जाना है। निविदा का कुल अनुमानित मूल्य रु. 33,00,000-00 है।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। निविदा जमा करने एवं खोलने संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Date of publication	3-7-2020	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर दर्शित है।
02	Document Download / Start Date	3-7-2020	
03	Bid Submission Start Date	3-7-2020	
04	Document Download/ End date	24-7-2020	
05	Bid Submission End Date	24-7-2020	
06	Bid Opening Date	25-7-2020	

ई-निविदा संबंधी सामान्य जानकारी म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की वेबसाइट [www.mpnvva.in](http://www.mpnvva.in) पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

  
सचिव

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

भाग - 1  
निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 सभी निविदाकारताओं से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने/प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक अध्ययन करें एवं म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर में सम्पूर्ण कार्यस्थल का भ्रमण कर कार्य के संबंध में समस्त जानकारी स्पष्ट प्राप्त कर ले। निविदा के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण एवं शंका के समाधान के लिए कार्यालयीन समय में म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल कार्यालय से कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 1.2 निविदा केवल ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी। ऑफ लाईन स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 1.3 **कार्य का परिचय :-** म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर की सुरक्षा एवं कार्यालयीन कार्य हेतु सुरक्षा कर्मों एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) की सेवाओं के लिए ई- निविदा आमंत्रित की जा रही है।
- 1.4 ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करे। निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की वेब साइट [www.mpnvva.in](http://www.mpnvva.in) पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।
- 1.5 ई-निविदा को वेब-साइट <https://mptenders.gov.in> पर आन-लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया गया है। निविदा अथवा निविदा खोलने की तिथि में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जावेगी। ई-निविदा का प्रतिवर्ष अनुमानित मूल्य रु. 33,00,000=00(रु. तैतीस लाख मात्र) हैं।
- 1.6 निविदा आन-लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

सं.क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Date of Publication	03-7-2020	निविदा आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाइट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर दर्शित है।
02	Document Download / Start Date	3-7-2020	
03	Bid Submission Start Date	3-7-2020	
04	Document Download/End date	24-7-2020	
05	Bid Submission End Date	24-7-2020	
06	Bid Opening Date	25-7-2020	

- 1.7 यदि ई-निविदा खोलने की तिथि पर किन्ही अपरिहार्य कारणों से निविदाएं खोली नहीं जा सकी तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोपहर 3-30 बजे खोली जाएगी।

**निविदा की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-**

- 1.8 **चरण-1:** निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 (रुपये एक हजार मात्र) हैं, जिसे ऑनलाईन जमा किया जाना है। निविदा मूल्य की पांच प्रतिशत राशि रुपये 1,65,000=00 (रुपये एक लाख पैसठ हजार मात्र) हैं को अमानत राशि (ईएमडी) के रूप में आन-लाईन जमा किया जाना है। ऑन लाईन जमा राशि की दोनों रसीदों को ई-निविदा के साथ अपलोड करना है।

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

---

उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि (ईएमडी) प्राप्त होने पर ही निविदाकर्ता को चरण-2 (तकनीकी निविदा) के लिए पात्र माना जायेगा। रसीद सचिव, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से होगी।

- 1.9 चरण-2: उपरोक्त चरण-1 में पात्र पाये जाने वाले निविदाकर्ता की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा के भाग-2 में दर्शित प्रपत्र/अभिलेख, निविदाकर्ता की सील एवं हस्ताक्षरित अभिलेख स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 1.10 चरण-3 : उपरोक्त चरण 2 में पात्र पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय निविदा तीन दिवस उपरांत खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को भी आन-लाईन ही प्रस्तुत किया जाना है।

19/1

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

भाग - 2  
निविदा की अर्हकारी शर्तें

सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ हेतु निविदा पात्रता की शर्तें निम्नांकित हैं, जिनके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा:-

- 2.1 वर्तमान में निविदाकर्ता एजेन्सी के पास सुरक्षा एवं कार्यालयीन स्टाफ में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील सहित सत्यापित समस्त अभिलेख प्रपत्र-1 में देवे।
- 2.2 निविदाकर्ता को प्रपत्र-2 अनुसार एजेन्सी की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3 निविदाकर्ता को प्रपत्र-3 अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.4 श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी (पंजीयन अभिलेख की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- 2.5 सुरक्षा एजेन्सी एवं कार्यालयीन स्टाफ हेतु प्रायवेट सिक्युरिटी एजेन्सीज (रेगूलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (पंजीयन अभिलेख की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- 2.6 कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन अभिलेख की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- 2.7 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन अभिलेख की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- 2.8 जी.एस.टी. पंजीयन-प्रपत्र की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 2.9 आयकर नम्बर (PAN CARD) की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 2.10 निविदाकर्ता का आयकर के पिछले तीन असेसमेन्ट वर्ष (2017-18, 2018-19, 2019-20) का आयकर रिटर्न (ITR) की छाया हस्ताक्षरित एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- 2.12 सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के ई.पी.एफ कटोत्री का प्रमाण पत्र (विगत एक माह की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)।
- 2.13 सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के ई.एस.आई.सी. कटोत्री का प्रमाण पत्र (विगत एक माह की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)।
- 2.14 सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) का चालान जमा करने की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.15 सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा जारी होने की तिथि के पूर्व का हो की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.16 निविदाकर्ता एजेन्सी को सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ व्यवस्था में विगत प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। प्रपत्र-4 अनुसार ।

14

**म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु**  
**ई-निविदा वर्ष 2020**

- 2.17 विगत प्रत्येक 03 वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में रु. 75 लाख का वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित कर संलग्न करे। **प्रपत्र-5** अनुसार ।
- 2.18 विगत प्रत्येक 03 वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ आदि में कम से कम 20 सुरक्षा कर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ से कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य आदेश हस्ताक्षरित एवं सत्यापित संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- 2.19 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ से कभी भी ब्लेक-लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु0 500=00 (रु. पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाये, जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- 2.20 म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के लिए निम्न पदों को स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या
1	टेक्नीकल असिस्टेंट	02
2	प्रोग्रामर	01
3	स्टेनोग्राफर/स्टेनो टायपिस्ट	01+01
4	भृत्य कम चौकीदार	05
5	माली	01
6	स्वीपर	01
7	सुरक्षा गार्ड	04

आयोग की 121वीं एवं 142वीं सभा दिनांक 08/02/2018 एवं 24/01/2019 में 04 सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किये गये। उपरोक्त पदों के विरुद्ध म.प्र. शासन एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित पात्रता/अर्हता धारण करने वाले उम्मीदवारों को ही कार्य हेतु आउटसोर्स के माध्यम से रखा जावेगा।

- 2.21 निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करें। (बिन्दु 2.20 तथा 2.21 का शपथ पत्र देखें)
- 2.22 निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी द्वारा कार्यालय कलेक्टर जिला-भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों अथवा वित्त विभाग, म.प्र. शासन के द्वारा जारी निर्देशों एवं योग्यता के अनुसार ही सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ को भुगतान किया जावेगा।

किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी द्वारा कार्यालयीन कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर से कम भुगतान नहीं किया जावेगा अर्थात् जिलाधीश दर से भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र में मात्र उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा शुल्क प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सेवा शुल्क व अन्य कर (यदि लागू हो) तो निविदाकर्ता को पृथक से उल्लेख करना होगा। निविदाकर्ता फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को शासकीय नियमानुसार संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों/सुरक्षा कर्मियों को समस्त वैधानिक परिलब्धियां जैसे ई.पी.एफ., ई.एस. आई.सी का भुगतान किया जावेगा।



म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

---

निविदाकर्ता द्वारा शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।

- 2.23 निविदाकर्ता को वित्तीय बिड प्रपत्र-7 में सिर्फ सेवा शुल्क अंकित करना होगा। शून्य सेवा शुल्क अमान्य किया जायेगा।
- 2.24 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र-7 में सेवा शुल्क प्रतिशत के रूप में दर्शाना होगा।
- 2.25 पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को मानक संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 2.26 संलग्न अभिलेखों का संबंधित विभाग से सत्यापन कराया जायेगा। अभिलेखों में कोई विसंगति पाये जाने पर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।
- 2.27 ई-निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र तथा निविदा की शर्तों के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी एवं निर्धारित प्रपत्रों को अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।



**म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

निविदाकर्ता फर्म/संस्था/एजेन्सी/कम्पनी को निम्नांकित अभिलेख स्केन कर  
ई-निविदा के साथ हस्ताक्षरित एवं सत्यापित कर अपलोड करना हैं।

सं. क्रं.	दस्तावेज का नाम जिसे निविदा के साथ अपलोड करना है (प्रत्येक अभिलेख पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील लगी होना चाहिए)
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,000=00 (रूपये एक हजार मात्र) आन लाईन जमा की गई रसीद ।
2	अमानत राशि (ईएमडी) की आन लाईन जमा की गई रसीद ।
3	वर्तमान में सुरक्षा एजेन्सी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण प्रपत्र-1 में देवे।
4	निविदाकर्ता को प्रपत्र-2 अनुसार फर्म/संस्था/कम्पनी की जानकारी तथा घोषणा पत्र
5	निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-3 अनुसार शपथ पत्र
6	श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी (पंजीयन अभिलेख की प्रति)
7	सुरक्षा एजेन्सी के पास प्रायवेट सिविलियुटि एजेन्सीज (रेगुलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण होना चाहिए। (पंजीयन अभिलेख की प्रति)
8	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन अभिलेख की प्रति)
9	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन अभिलेख की प्रति)
10	जी.एस.टी. पंजीयन प्रपत्र की प्रति
11	आयकर नम्बर (PAN CARD) की प्रति
12	फर्म/संस्था/कम्पनी का पिछले तीन आंकलन वर्ष (2017-18, 2018-19, 2019-20) का आयकर रिटर्न (ITR) की छाया प्रति
14	सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के ई.पी.एफ कटौती का प्रमाण पत्र (विगत एक माह की छाया प्रति)।
15	सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के सेवा शुल्क (जी.एस.टी.) के चालान जमा करने की छाया प्रति।
16	सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ (कुल 20) के कार्य कराने का लेबर लायसेन्स, जो निविदा जारी होने की तिथि के पूर्व का हो, की छाया प्रति
17	फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी को सुरक्षा एवं कार्यालयीन स्टाफ व्यवस्था में विगत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) का अनुभव होना चाहिए। सम्बन्धित संस्था का कार्य आदेश /प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। प्रपत्र-4 अनुसार
18	विगत प्रत्येक 03 वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में रु. 75-00 लाख का वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित कर संलग्न करे। प्रपत्र-5 अनुसार।
19	विगत प्रत्येक 03 वित्त वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में शासकीय विभाग, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ आदि में कम से कम 20 सुरक्षा कर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ से कार्य कराने का अनुभव एवं कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य हैं।
20	निविदा में भाग लेने वाली फर्म/संस्था/कम्पनी किसी भी शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी संघ से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रु0 500=00 (रूपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाये, जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
21	निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। नोटरीज्ड शपथ-पत्र संलग्न करें। (बिन्दु 2.20 तथा 2.21 का शपथ पत्र देवे)
22	पसारा एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मियों को मान्य संस्थाओं से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। प्रमाण-पत्र संलग्न करें।



म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

भाग - 3

अन्य कार्य विवरण एवं सफल निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के दायित्व

- 3.1 सफल निविदाकर्ता को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के सक्षम प्राधिकारी के निर्देश से आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्म एवं कार्यालयीन स्टाफ उपलब्ध कराना होगा।
- 3.2 निविदाकर्ता को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार चिन्हित स्थानों पर सुरक्षाकर्म एवं कार्यालयीन स्टाफ को उपलब्ध कराना होगा। नियत स्थानों पर 24 घण्टे तथा शेष स्थानों पर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार 8-8 घण्टे सुरक्षाकर्म तैनात करने होंगे।
- 3.3 निविदाकर्ता एजेन्सी का सुरक्षा हेतु यह कर्तव्य होगा कि म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर में अवांछित एवं अनाधिकृत व्यक्तियों तथा पशुओं का प्रवेश न होने पाये एवं समय-समय पर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 3.4 निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर का दुरुपयोग न हो व अनाधिकृत पार्किंग न की जावे तथा बिना अनुमति के परिसर में एवं मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का ठेला या दुकान या अन्य व्यापार न प्रारंभ किये जावे। अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश आदि को भी रोकने का दायित्व एजेन्सी का होगा।
- 3.5 सुरक्षाकर्म की ड्यूटी 8-8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
- 3.6 सुरक्षाकर्मियों के निवास/वर्दी की व्यवस्था सुरक्षा निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी को स्वयं करनी होगी। म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की ओर से कोई निवास/वर्दी की व्यवस्था नहीं की जावेगी।
- 3.7 निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी किसी सब फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी से कार्य नहीं करायेगी।
- 3.8 सफल निविदाकर्ता को सात दिवस में म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल प्रशासन के साथ अनुबंध कराना होगा। निविदा में सफल फर्म/संस्था/कम्पनी से एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा।
- 3.9 म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल एवं सफल निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के मध्य सम्पन्न अनुबंध की अवधि को अपरिहार्य एवं आपात परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अधिकतम तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध अवधि में वृद्धि हेतु मूल दर में कोई वृद्धि मान्य नहीं होगी।
- 3.10 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। आपात स्थिति में म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास कभी भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3.11 जो निविदा मान्य नहीं होगी उसकी अमानत राशि (ईएमडी) नियमानुसार वापिस की जावेगी।
- 3.12 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.13 किसी भी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।
- 3.14 कार्यालयीन स्टाफ एवं सुरक्षा गार्ड्स की बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं कार्य के सत्यापन के आधार पर एजेन्सी को प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।



**म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु**  
**ई-निविदा वर्ष 2020**

- 3.15 वर्तमान में कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के द्वारा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 3.16 सुरक्षाकर्मी एवं कार्यालयीन आऊटसोर्स स्टाफ कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
- 3.17 सफल निविदाकर्ता को कुल निविदा मूल्य की राशि का 10 प्रतिशत राशि रु. 3,30,000-00 (रुपये तीन लाख तीस हजार ) बैंक सुरक्षा गारन्टी के बतौर सावधी जमा(एफ.डी.) के रूप में म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पक्ष में जमा करनी होगी। बैंक गारन्टी का सत्यापन म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा किया जायेगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बैंक गारन्टी को राजसात कर उसका नकदीकरण किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि (ईएमडी) भी म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में सुरक्षित रहेगी। सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि (ईएमडी) रु. 1,65,000=00 (एक लाख पैसठ हजार रुपये मात्र) बैंक गारन्टी के रूप में परिवर्तित होकर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगी।
- 3.18 निविदाकर्ता द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ का आंकलन बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति प्रमाणित होने के आधार पर किया जाएगा। इस स्थिति में मासिक भुगतान से उपस्थिति के अनुपात में कटौती किया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबन्ध की अवधि में नुकसान होने पर ऐसे नुकसान के लिए भरपाई एजेन्सी द्वारा जमा बैंक सुरक्षा निधि को राजसात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटौती की जावेगी।
- 3.19 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास सुरक्षित होगा। निविदाकर्ता तथा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर अध्यक्ष,म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 3.20 निविदाकर्ता द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन आऊटसोर्स स्टाफ में संलग्न कर्मियों की योग्यता एवं कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि से राशि काटकर निविदा को निरस्त किया जा सकता है।
- 3.21 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा संबंधित सुरक्षाकर्मियों एवं कार्यालयीन आऊटसोर्स स्टाफ के कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा सुरक्षा एजेन्सी पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकेगी।

सं. क्रं.	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
01	सुरक्षाकर्मी के पास सीटी, डण्डा, टार्च एवं मोबाईल न होने पर	रु. 200-00
02	सुरक्षाकर्मी/कार्यालयीन स्टाफ अनुपस्थित होने पर	रु. 500-00
03	सुरक्षाकर्मी/कार्यालयीन स्टाफ के पास आई.कार्ड न होने पर	रु. 200-00
04	अभद्र व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर	रु. 1000-00 से रु. 10,000-00 तक
05	आयोग परिसर की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	रु. 1000-00 से लेकर नुकसान हुई सम्पत्ति की वास्तविक राशि तक
06	संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या आयोग के	रु. 10,000-00 या निविदा निरस्त करते हुए

**म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु**  
**ई-निविदा वर्ष 2020**

	निर्देशों का न मानने पर	अमानत राशि राजसात की जायेगी।
07	परिसर में चोरी होने पर	क्षति की वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति

- 3.22 ई-निविदा म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल कार्यालय में खोली जावेगी। ई-निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- 3.23 म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वविवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3.24 यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा कायदेशि दिया गया है एवं सफल निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि की राशि म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
- 3.25 निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा कर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ की आयु 20 से 60 वर्ष (कार्यावधि) के मध्य होना चाहिए एवं उनका स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र निविदा मान्य होने पर संलग्न करना अनिवार्य हैं। तत्पश्चात सुरक्षाकर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ का निविदा अवधि में एक बार निविदाकर्ता के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना होगा।
- 3.26 निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई सेवा शुल्क की समान दर या न्यूनतम दर का परीक्षण समिति द्वारा करने के उपरांत आयोग द्वारा गठित समिति स्वविवेक से निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा अथवा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.27 सुरक्षाकर्मियों द्वारा पहने जाने वाली यूनिफार्म एवं सुरक्षाकार्य में उपयोग में होने वाली सामग्री एवं इसका प्रबंध निविदाकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- 3.28 सुरक्षाकर्मियों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना सुरक्षा एजेन्सी का दायित्व होगा।
- 3.29 सभी सुरक्षाकर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ का बायोडाटा, शैक्षणिक अर्हता एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र और नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ सफल निविदाकर्ता अपने स्वयं के व्यय पर सचिव, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को सौपेगी।
- 3.30 सभी सुरक्षाकर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराने का दायित्व एजेन्सी का होगा। किसी भी सुरक्षाकर्मी एवं कार्यालयीन कार्य हेतु पदस्थ किये गये स्टाफ के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
- 3.31 सचिव, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के मांगे जाने पर एजेन्सी अपने रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगी।
- 3.32 सफल निविदाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी भ्रमक होने पर एवं प्रमाण पत्रों के गलत या कूटचित पाये जाने पर सुरक्षा एजेन्सी के विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई बैंक सुरक्षा गारन्टी निधि राशि राजसात की जा सकती है।

**वित्तीय निविदा भरने के निर्देश:-**

- 3.33 इस वित्तीय प्रपत्र में निविदाकर्ता को सेवा शुल्क की राशि प्रतिशत में अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 3.34 निविदाकर्ता द्वारा शून्य सेवा शुल्क उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।



म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

प्रपत्र-1

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत सुरक्षाकर्मी एवं कार्यालयीन स्टाफ आदि की जानकारी  
निविदाकर्ता फर्म का नाम:-----  
पता:-----

सं.क्रं.	सुरक्षाकर्मी कार्यालयीन स्टाफ पदनाम	एवं का	संख्या	कुल वेतन
01	टेक्नीकल असिस्टेंट			
02	प्रोग्रामर			
03	स्टेनोग्राफर/स्टेनों टायपिस्ट			
04	भृत्य कम चौकीदार			
05	माली			
06	स्वीपर			
07	गनमैन			
08	सुरक्षाकर्मी			
09	अन्य			

निविदाकर्ता का नाम  
निविदाकर्ता का पता  
हस्ताक्षर  
फर्म की अधिकृत सील सहित

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

प्रपत्र-2

निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/ऐजेन्सी की जानकारी तथा घोषणा पत्र

सं.क्रं.	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म/संस्था/कम्पनी/ऐजेन्सी का नाम	
02	कार्यालयीन पता	
03	पसारा एक्ट के तहत फर्म/संस्था/कम्पनी/ऐजेन्सी का पंजीयन क्रमांक वैधता तिथि सहित	
04	दूरभाष नम्बर	
05	मोबाईल नम्बर	
06	ई-मेल आई.डी.	
07	पेन नं.	

घोषणा पत्र

मेरे /हमारी फर्म/संस्था/कम्पनी/ऐजेन्सी द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम / शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तों के अधीन म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था का कार्य करने हेतु मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता का पता

हस्ताक्षर

फर्म/संस्था/कम्पनी/ऐजेन्सी की अधिकृत सील सहित

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

प्रपत्र-3

शपथ पत्र का प्रारूप  
(रु. 500-00 के गैर न्यायिक मुद्रांक / नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं-----पुत्र/पुत्री-----उम्र-----

पता-----

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि:-

- (1) मैं निविदाकर्ता संस्था----- (फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का  
----- (एकल स्वामी / साझेदार /..... संचालक  
/ मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूं तथा यह संस्था वर्तमान में सुरक्षा कार्य एवं कार्यालयीन आऊटसोर्स के  
लिए वैधानिक रूप से पंजीकृत है, जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता----- हैं।
- (2) मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे  
तथा मेरी संस्था को मान्य हैं।
- (3) निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे/मेरी फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के  
पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।
- (4) मेरे / मेरी फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य  
एवं प्रमाणित हैं किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा को  
निरस्त किया जाना मुझे/हमे मान्य होगा तथा मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई बैंक सुरक्षा निधि की  
राशि को म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल द्वारा राजसात किया जाना  
मुझे/हमारी फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी को मान्य होगा।

स्थान :-----

शपथगृहीता

दिनांक:-----

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता का पता

हस्ताक्षर

फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी की अधिकृत सील एवं मो. न. सहित

1. गवाह का नाम, पता एवं मो.न. :-----

2. गवाह का नाम, पता एवं मो.न. :-----

**म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
**परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु**  
**ई-निविदा वर्ष 2020**

**प्रपत्र-4**

सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ के क्षेत्र में विगत तीन वर्षों के अनुभव की जानकारी :-

निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता-----

सं. क्रं.	वर्ष	संस्था का नाम जहां सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	सुरक्षाकर्मियों एवं कार्यालयीन स्टाफ की संख्या	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक			
01	2017-18						
02	2018-19						
03	2019-20						

फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी के अधिकृत हस्ताक्षर, मो. न. एवं सील

**प्रपत्र-5**

**अंकेक्षित लेखों का सारांश**  
**(रु. 500-00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स-----

पता-----

के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकर्ता का समान प्रकृति के कार्य अर्थात् (संस्था के कार्य) का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:-

क्रमांक	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंको में)
01	2017-18		
02	2018-19		
03	2019-20		

टीप:- शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं, जिसे म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करता हूं।

स्थान:-----

चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम एवं मो. नं.:-----

दिनांक:-----

फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सी की मुद्रा :-----



शपथग्रहिता

म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
परिसर की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ की व्यवस्था हेतु  
ई-निविदा वर्ष 2020

प्रपत्र-6

घोषणा पत्र  
(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं-----आत्मज-----सुरक्षा कार्य के लिए म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में निविदाकर्ता हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था द्वारा यदि म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून / नियम / विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

स्थान:-----  
दिनांक:-----

नाम:-----  
पता:-----  
मो.नं.-----

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा



## म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल परिसर की सुरक्षा एवं कार्यालयीन स्टाफ व्यवस्था हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्रं	विवरण	सुरक्षा एवं कार्यालयीन स्टाफ टेक्नीकल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर/स्टेनो टायपिस्ट, भृत्य कम चौकीदार, माली, स्वीपर, गनमैन, सुरक्षा गार्ड हेतु संस्था द्वारा लिए जाने वाले सेवा शुल्क की दर अंको में एवं शब्दों में (प्रतिशत में)
1	निविदाकर्ता संस्थान का नाम	
2	सभी सुरक्षा एवं कार्यालयीन स्टाफ सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यालयीन स्टाफ (टेक्नीकल असिस्टेंट, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर/स्टेनो टायपिस्ट, भृत्य कम चौकीदार, माली, स्वीपर, गनमैन, सुरक्षा गार्ड) कर्मियों के कलेक्टर द्वारा निर्धारित मासिक भुगतान की दर एवं वीकली रेस्ट की गणना के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि के आधार पर फर्म द्वारा लिया जाने वाले सेवा शुल्क की दर	

